



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



Office Order No. 67 of 2023

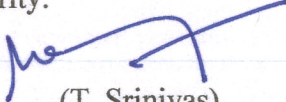
Sub: Allocation of works to AMs/PEDs/EDs under DG/HR in Board's Office.

In supersession of Office Order No. 57 of 2023, it has been decided that allocation of works to AMs/PEDs/EDs under DG/HR would be as under:-

AMs/PED	Officer Reporting /Allocation of Specific Items of Work
AM/Staff	ED/E(GC), EDE/N, EDPC, EDE/RRB, EDE/Res
AM/HR	ED/T&MPP (for MPP, HRMS & Mission Karmayogi), ED/E(LL) (Court cases, NHRC & Rajbhasha), EDE/Sport, ED/E
PED/IR	DE(G), JD/E(IR) & Territorial Army, JD/E(Welfare) & Railway Schools

2. ED/E(GC) would report directly to CRB & CEO on all policy issues relating to IRMS.
3. AM/Staff and AM/HR would report to Board (CRB&CEO) through DG/HR as per above allocation/cases.
4. PED/IR will report to DG/HR.
5. ED/T&MPP would report to DG/HR on matters relating to Training including Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV) & IRMS Training.
6. The above issues with the approval of competent authority.

No. 2023/O&M/7/7
New Delhi. Dated : 17.10.2023


(T. Srinivas)

Joint secretary/Railway Board
Tele No. 011-23387362
Email: t.srinivas1@gov.in

All officers and Braches in Board's office, Office at COMFOW Building and at Daya Basti, New Delhi.

Copy to:

**DG/HR, AM/Staff, AM/HR, PED/IR
ED/E(LL), ED/T&MPP and EDE/Sports**

Copy for information to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(D) & EDPG/MoSR(J)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2023 का कार्यालय आदेश संख्या 67

विषय: बोर्ड कार्यालय में महानिदेशक/मानव संसाधन के अंतर्गत अपर सदस्यों/प्रधान कार्यपालक निदेशकों/कार्यपालक निदेशकों का कार्य आवंटन।

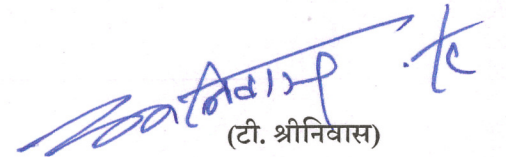
2023 के कार्यालय आदेश संख्या 57 के अधिक्रमण में, यह निर्णय लिया गया है कि महानिदेशक/मानव संसाधन के अंतर्गत अपर सदस्यों/प्रधान कार्यपालक निदेशकों/कार्यपालक निदेशकों का कार्य आवंटन निम्नानुसार होगा:-

अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक/	रिपोर्ट करने वाले अधिकारी/कार्य की विनिर्दिष्ट मदों का आवंटन
अपर सदस्य/कर्मचारी	ईडी/ई(जीसी), ईडीई(एन), ईडीपीसी, ईडीई/आरआरबी, ईडीई/आरईएस
अपर सदस्य/मानव संसाधन	कार्यपालक निदेशक/टीएंडएमपीपी (एमपीपी,एचआरएमएस और मिशन कर्मयोगी के लिए), कार्यपालक निदेशक/ई (श्रम कानून) (अदालती मामले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राजभाषा), कार्यपालक निदेशक स्थापना/खेलकूद, कार्यपालक निदेशक/ई
प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध	डीई(जी), संयुक्त निदेशक/स्थापना (औद्योगिक संबंध) एवं प्रादेशिक सेना, संयुक्त निदेशक/स्थापना (कल्याण) एवं रेलवे स्कूल

- कार्यपालक निदेशक/ई(जीसी) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा संबंधी सभी नीतिगत मुद्दों के संबंध में सीधे अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे।
- उपरोक्त आवंटन/मामलों के अनुसार अपर सदस्य/कर्मचारी और अपर सदस्य/मानव संसाधन महानिदेशक/मानव संसाधन के माध्यम से बोर्ड (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड) को रिपोर्ट करेंगे।
- प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध महानिदेशक/मानव संसाधन को रिपोर्ट करेंगे।
- कार्यपालक निदेशक/टीएंडएमपीपी गति शक्ति विश्वविद्यालय और आईआरएमएस प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण संबंधी मामलों के संबंध में महानिदेशक/मानव संसाधन को रिपोर्ट करेंगे।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

सं. 2023/ओएंडएम/7/7

नई दिल्ली दिनांक: 17.10.2023


(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/ रेलवे बोर्ड

टेलीफोन नं. 011-23387362

ईमेल आईडी: t.srinivasl@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली में सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

महानिदेशक/मानव संसाधन, अपर सदस्य/कर्मचारी, अपर सदस्य/मानव संसाधन, प्रधान कार्यपालक निदेशक/मानव संसाधन और प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत (जे)।